मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

***दिनांक 12.02.2025 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।***

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रो.सैयद नजमुल हसन, **अध्यक्ष**
   ***प्रोफेसर, विज्ञान संकाय***
2. डॉ.शगुफ़्ता परवीन, **सदस्य / संयोजक**
   ***हिन्दी अधिकारी, हिन्दी प्रकोष्ठ***
3. प्रो. पठान रहीम खान, **सदस्य**
   ***प्रोफेसर, हिन्दी विभाग***
4. डॉ.अश्वनी, **सदस्य**
   ***एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग***
5. डॉ.मु.मुस्तफ़ा अली सरवरी, ***सदस्य***
   ***जनसंपर्क अधिकारी***
6. डॉ. शाहिद जमाल, **सदस्य**
   ***सहायक प्रोफेसर, दक्कन अध्ययन केन्द्र***

सर्व-प्रथम संयोजक महोदया द्वारा राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया और बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

***बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई:-***

**बिंदु सं.1. हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा की गई पिछली गतिविधियों का पुनरावलोकन।**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हिन्दी अधिकारी(राजभाषा अधिकारी) द्वारा हिन्दी प्रकोष्ठ की पूर्व गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

- सूचित किया गया कि, हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी पारंगत पाठ्यक्रम के आठवें बैच के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है।
- सूचित किया गया कि, सभी विभागाध्यक्षों तथा अनुभागाध्यक्षों को विभागों/अनुभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन से संबंधित परिपत्र परिचालित कर दिया गया , तथा अनुरोध किया गया कि हिन्दी पारंगत उत्तीर्ण कर्मचारियों से भी सहायता ली जा सकती है।
- हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की अधिसूचनाएं, आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों, मानक मसौदों आदि को द्विभाषी रूप में तैयार कर समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जा रहा है।
- सूचित किया गया कि, हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय की हिन्दी वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

**बिंदु सं. 2. विश्वविद्यालय के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना।**

सदस्यों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 के कार्यान्वियन से अवगत कराने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के प्रचार-प्रसार के लिए सभी विभागों एवं अनुभागों में संबंधित परिपत्र जारी कर राजभाषा (हिन्दी) के प्रति जागरूक करने का सुझाव दिया तथा इस दिशा में हिन्दी प्राज्ञ तथा पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया जाए।

सदस्यों का सुझाव था कि, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय/यूजीसी तथा अन्य संस्थाओं से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देने का प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन होगा।

**बिंदु सं. 3. दिनांक:19.02.2025 को शिक्षा मंत्रालय की राजभाषायी समिति के निरीक्षण के संबंध में।**

समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक: 19.02.2025 को शिक्षा मंत्राय की निरीक्षण समिति द्वारा राजभाषायी किया जाना है, इस निरीक्षण समति में श्रीमती संतोष कुमारी, सहाय निदेशक, शिक्षा मंत्रालय, सुश्री पूनम विमल, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी तथा श्री संजय मीना, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, शिक्षा मंत्रालय राजभाषायी निरीक्षण के लिए आ रहे है।

शिक्षा मंत्रालय के राजभाषायी निरीक्षण के संबंध में सभी अनुभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी भी किया गया, तथा अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया कि वे अपने कार्यालयों में फाइलों, आदेशों, परिपत्रों, रजिस्टरों, हिन्दी रबड़ मोहर तथा अन्य संबंधित आधिकारिक कार्यों में राजभाषा का कार्यान्वियन सुनिश्चित करें।

समिति के सदस्यों को राजभाषायी निरीक्षण से संबंधित राजभाषा कार्यान्वियन से संबंधित पी.पी.टी. तैयार करके दिखाई गई, जिस पर सदस्यों ने संतुष्टि प्रकट की।

धन्यवाद के साथ बैठक संपन्न हुई।

**हिन्दी अधिकारी**
**सदस्य एवं संयोजक**
**मानू, हैदराबाद**